कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री दीपक कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **श्री राकेश झा(एडवोकेट)भास्कर हाउस ,इलाइट सीपरी रोड,सिविल लाइन्स झाँसी ।**

प्रा0प0सं0- **242/2008**

प्रार्थी की ओर से- **श्री राकेश झा ,अधिवक्ता ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अन्तर्गतनिर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 08-5-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें **स्टोन केशर द्वारा गिट्टी निर्माण के लिये क्रय किये जाने वाले कच्चे माल स्टोन ग्रिट** पर कर की देयता के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी है।

2- ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक),वाणिज्य कर,झाँसी से प्राप्त आख्या में उल्लेख किया गया है कि स्टोन केशर द्वारा ग्रिट का निर्माण किया जाता है तथा कच्चे माल के रुप में बोल्डर का प्रयोग किया जाता है तथा खदान से ब्लास्ट करके पहले बोल्डर/खण्डा निकलता है जिससे केशर द्वारा गिट्टी का निर्माण किया जाता है। बोल्डर/खण्डा पर अंपजीकृत वस्तु की भांति 12.5% की दर से करदेयता है।

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री राकेश झा,अधिवक्ता उपस्थित हुयें व,धारा-59 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया ।

3- मैनें व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों,प्राप्त विभागीय आख्या का अवलोकन किया।कमिश्नरवाणिज्यकर द्वारा श्रीआर0एस0के0कान्ट्रैक्टरर्स,58ईदगाह,कालोनी ,आगरा(प्रा0प0सं0-233/2008) के वाद में पारित आदेश दिनांक 8-8-2008 में 90 mm. तक के स्टोन को ग्रिट की श्रेणी में माना गया है। सर्वश्री नरेश कुमार गुप्ता ,अधिवक्ता,झाँसी (प्रा0प0सं0-34/2008) के वाद में धारा-59 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 29-2-2008 में बोल्डर/खण्डा पर वैट अधिनियम की अनुसुची-5 के अन्तर्गत 12.5% की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है। 90 mm. तक के स्टोन पर वैट अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग क के कमांक 109 पर अंकित प्रविष्टि River sands and grit के अन्तर्गत आने के कारण 4प्रतिशत की दर से कर देयता है। 90 mm. से बड़े पत्थर व बोल्डर/खण्डा पर वैट अधिनियम कीअनुसुची- 1,2,3,4 में वर्गीकृत न होने के कारण अनुसुची-5 के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

5- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 2, सितम्बर,2008

ह0 2.9.08

(दीपक कुमार)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।